राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमांकः–प. 11(14)नविवि/टाउनशिप पॉलिसी/2024–10169 जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान संख्या 3.6 में 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के एकल पट्टा प्रकरणों में भी राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान संख्या 3.4 (iv) के अनुसार ही 05 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि ली जावें।

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
6. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर/भरतपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही बाबत्।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :14-11-2025 05:29:56

RajKaj Ref No.: 18848140
eSign DSC